

तार का पता : "मिनीस्टील"
Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सं. 21014/2/2008-सा.प्र.
सं 0

No. _____
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

दिनांक: 29 अप्रैल, 2008

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार।

विषय: वर्ष 2008-09 के दौरान इस्पात मंत्रालय में यूपीएस के
वार्षिक अनुरक्षण ठेके के लिए मोहरबंद कोटेशन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बैटरी के बिना यूपीएस के वार्षिक अनुरक्षण ठेके हेतु मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित करने का निदेश हुआ है :-

क्र. सं.	मदें	दर
1.	बैटरी के बिना यूपीएस	
2.	आईएसआई मार्क या अंतर्राष्ट्रीय साख वाली बैटरी (500 वीए, 650 वीए व 1 केवीए)	

यदि आपकी फर्म इस पत्र के साथ संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपेक्षित कार्य करने की इच्छुक है तो आप अपनी कोटेशन दिनांक 12 मई, 2008 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक या इससे पहले अधोहस्ताक्षरी के नाम से मोहरबंद लिफाफे में भेज सकते हैं और कक्ष सं. 74, उद्योग भवन (गेट नं. 1), नई दिल्ली के बाहर टेंडर बॉक्स में डाल सकते हैं। 5000/-रुपए की ईएमडी पीएओ, इस्पात मंत्रालय के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में कोटेशन के साथ संलग्न होनी चाहिए। मोहरबंद कोटेशन दिनांक 12.5.2008 को 11.30 बजे (पूर्वाह्न) कक्ष सं. 74, उद्योग भवन में प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। कंपनी के पैन नम्बर/टिन नम्बर और सर्विस टैक्स नम्बर की प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए निरस्त या चयनित करने का अधिकार ब्रह्मे है।

भवदीय,

(दर्शन कुमार सोलंकी)
अनुभाग अधिकारी
दूरभाष सं. 23062537

प्रति:-

एनआईसी- इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु।

दर्शन कुमार सोलंकी
अनुभाग अधिकारी
इस्पात मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

इस्पात मंत्रालय में यूपीएस के वार्षिक अनुरक्षण टेके की निबंधन एवं शर्तें

1. शिकायतों का निपटारा तुरंत और 24 घंटे के अंदर होना चाहिए अन्यथा दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. एक रैजिडेण्ट अटेण्डेन्ट इस्पात मंत्रालय में तैनात होना चाहिए।
3. यूपीएस की बैटरी आईएसएस मार्क/अंतर्राष्ट्रीय साख की होनी चाहिए।
4. इन-हाऊस मरम्मत इत्यादि करनी होगी।
5. यदि निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा तो टेके को अवधि समाप्त होने से पहले निरस्त किया जा सकता है।
6. टेके को अंतिम रूप देने के पश्चात कंपनी को कुल एएमसी की 10% राशि निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करनी होगी।